

हेट स्पीच

प्रलिस के लयः

[भाषण की स्वतंत्रता, जन प्रतनिधितिव अधनियम, 1951 \(RPA\), हेट स्पीच](#)

मेन्स के लयः

संसद और राज्य वधानमंडलों की संरचना, कामकाज, कामकाज का संचालन, शक्तयिँ और वशिषाधकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यँ?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफॉर्मस (ADR) और **नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW)** के हालयि वशिषेण से पता चलता है कऱ भारत में बड़ी संख्या में सांसदों के खलिाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले दर्ज हैं ।

- कुल 107 संसद सदस्यँ (सांसदों) और वधान सभा सदस्यँ (वधायकों) के खलिाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले दर्ज हैं ।
- ऐसे नषिर्ष सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के बीच **नैतिक आचरण** की आवश्यकता को उजागर करते हैं ।

टपिपणी:

- NEW वर्ष 2002 से शुरु एक राष्ट्रव्यापी अभयान है जसिमें 1200 से अधिक गैर-सरकारी संगठन (NGO) और अन्य नागरकि-नेतृत्व वाले संगठन शामिल हैं जो भारत में चुनाव सुधार, लोकतंत्र एवं शासन में सुधार पर एक साथ मलिकर काम कर रहे हैं ।
- ADR एक भारतीय गैर सरकारी संगठन (NGO) है जसिकी स्थापना 1999 में नई दलिली में हुई थी ।

हेट स्पीच

- **परचियः**
 - भारत के वधि आयोग की **267वीं रिपोर्ट** में घृणासपद भाषण को मुख्य रूप से नसल, जातीयता, लगी, यौन अभविन्यास, धार्मकि वशिवास और **इसी तरह के संदर्भ में परभाषति व्यक्तयिँ के एक समूह के खलिाफ नफरत को उकसाने वाला** बताया गया है ।
 - भाषण का संदर्भ यह नरिधारति करने के लयि महत्त्वपूर्ण है कऱ यह नफरत फैलाने वाला भाषण है या नहीं ।
 - यह नफरत, हसिा, भेदभाव और असहषिणुता को उकसाकर लक्षति व्यक्तयिँ एवं समूहों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुंचा सकता है ।
- **भारत में हेट स्पीच की कानूनी स्थतिः**
 - **भाषण की स्वतंत्रता और हेट स्पीचः**
 - अनुच्छेद 19(2) इस अधिकार पर उचति प्रतबिंध लगाता है, इसके **उपयोग और दुरुपयोग को संतुलति** करता है ।
 - संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, वदिशी राज्यों के साथ मैतरीपूर्ण संबंध, सार्वजनकि व्यवस्था, गरमिा, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि अथवा कसिी अपराध को भडकाने के हति में प्रतबिंधों की अनुमति है ।
 - **भारतीय दंड संहतिः**
 - **IPC की धारा 153A तथा 153B:**
 - समूहों के बीच शत्रुता और घृणा उत्पन्न करने वालों को दंडति करना ।
 - **IPC की धारा 295A:**
 - दंडात्मक कृत्यों से संबंधति है जो जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से **एक वर्ग के व्यक्तयिँ की धार्मकि भावनाओं को ठेस** पहुँचाते हैं ।
 - **धारा 505(1) तथा 505(2):**

- ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध मानना जो वभिन्न समूहों के बीच दुर्भावना या घृणा उत्पन्न कर सकती है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951:
 - RPA, 1951 की धारा 8:
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवैध उपयोग के लिये **दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकता है।**
 - RPA की धारा 123(3A) तथा 125:
 - चुनावों के संदर्भ में नस्ल, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के वभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता अथवा घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने पर रोक लगाता है और साथ ही इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के अंतर्गत शामिल करता है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:
 - सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर **अनुसूचित जाति** अथवा **अनुसूचित जनजाति** को लक्षित करने वाले घृणास्पद भाषण पर **प्रतिबंध** लगाता है।
- नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955:
 - यह मौखिक अथवा लिखित शब्दों के माध्यम से या संकेतों एवं दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा अथवा अस्पृश्यता को उकसाने एवं प्रोत्साहित करने पर दंड का प्रावधान करता है।

घृणास्पद भाषण से संबंधित न्यायिक मामले:

- शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ और अन्य, 2022:
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि जब तक वभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव से रहने के लिये सक्षम नहीं होंगे, तब तक **बंधुत्व** स्थापित नहीं हो सकता।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और सरकारों एवं पुलिस अधिकारियों को औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किये बिना ऐसे मामलों में **स्वतः कार्रवाई** करने का निर्देश दिया है।
- प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ, 2014 मामला:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नफरत हेतु स्पीच को दंडित नहीं किया क्योंकि यह भारत में किसी भी कानून में मौजूद नहीं है। बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायिक अंतरिक** के विवाद से बचने के लिये **वधि आयोग से इस मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध** किया।
- श्रेया सधिल बनाम भारत संघ, 2015:
 - **संवधान के अनुच्छेद 19(1)(A)** द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A** के बारे में मुद्दे उठाए गए थे, जहाँ न्यायालय ने चर्चा, वकालत तथा उत्तेजना के बीच अंतर किया और माना कि पहले दो अनुच्छेद 19(1) का सार थे।

हेट स्पीच के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उजागर करना:

- **हेट स्पीच के परिणामों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना**, साथ ही व्यक्तियों एवं समाज पर इसके हानिकारक प्रभावों को उजागर करना।
- मौजूदा कानूनों को मज़बूत करना या विशेष रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण को लक्षित करने वाले नए कानून स्थापित करना, **जमीडिया साक्षरता, संवाद, जवाबी भाषण, स्व-नियमन एवं नागरिक समाज की भागीदारी जैसे अन्य उपायों से पूरक हों।**
 - ये उपाय हेट स्पीच को फैलाने से रोकने, इसके आख्यानो को चुनौती देने, **वैकल्पिक आवाज़ों को बढ़ावा देने और सहिष्णुता एवं सम्मान की संस्कृति** को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
- **वधायकों के लिये आचार संहिता स्थापित करना और लागू करना, हेट स्पीच हेतु सांसदों एवं राजनीतिक दलों को ज़िम्मेदार ठहराना तथा इसके प्रसार को हतोत्साहित करने के लिये मीडिया नैतिकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।**

नबिर्करष:

सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के बीच नैतिक आचरण की तत्काल आवश्यकता है। हेट स्पीच के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत कल्याण के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये, शिक्षा को बढ़ावा देना, कानून को मज़बूत करना और आचार संहिता लागू करना देश में सहिष्णुता, सम्मान एवं ज़िम्मेदार शासन की संस्कृति को बढ़ावा देने में आवश्यक कदम हैं।